

21.2.22.

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित
प्राथी का प्रार्थना पत्र बाधत अस्थाई
निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली है। पत्रावली केसल शुमार होकर
नंबर से कम हो।

